

सेवा में

दिनांक 16/09/25

D.A.

समान अंचलधिकारी महोदय

कोडरमा

क

28/08/25 विषय:-

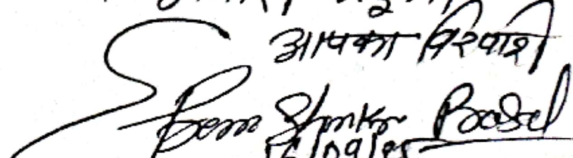
क अंचल कार्यालय कोडरमा द्वारा निर्गत नोटिस के वाकत अपत्यही दर्ज कराने के संबंध में

महोदय

निवेदन पूर्वक कहना है कि आपके कार्यालय के द्वारा दिनांक 28/08/25 को वजारी नोटिस के माध्यम से मुझे यह लिखित हुआ कि यदि यदि दिनांक 16/09/2025 को आपके कार्यालय में आपके वसतु उक्त दिनांक को अपने जमान से संबंधित सभी मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को निर्देश दिया गया था जिससे कि काजगाह कि सही जाँच कर जमावदी कायम किया जा सके आपके दिने गये तारीख 16/09/25 को मैं अपने मूल काजगाह के साथ उपस्थित हूँ

अतः जी भाज से यह निवेदन है कि दस्तावेज की जाँच कर दमारी आगे कि कार्यवाही करते हुए हमारे जमान के जमावदी दर्ज करने के लुजा करे जिसके लिए मैं सदा समस्त का आभारी रहूँगा

आपका प्रिय


16/09/25

कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं०- 16/2025-26

श्री प्रेमशंकर प्रसाद,
पिता- स्व० देवनारायण प्रसाद
साकिन- चित्रगुप्त नगर,
थाना- तिलैया, जिला-कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित । यह वाद जमाबंदी क्षतिग्रस्त होने से संबंधित है, जिसके संदर्भ में आवेदक श्री प्रेमशंकर प्रसाद पिता-स्व० जयनारायण प्रसाद, साकिन-चित्रगुप्त नगर, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के द्वारा निम्नांकित भूमि के बाबत आवेदन समर्पित कर जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

भूमि का विवरण

मौजा/थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	अभियुक्ति
नवादा/249	13	788	10 डी०	
		814	73 डी०	

उक्त के निमित्त आवेदक से भूमि के संबंध में वांछित कागजात की मांग करते हुए आम-इश्तेहार निर्गत किया गया। आम-इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। उक्त के बाबत संबंधित हलका राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से आवेदित भूमि के संदर्भ में विहित प्रपत्र में जाँच-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। संलग्न जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जिसमें संबंधित हलका राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी जीर्ण-शीर्ण/फटा हुआ है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद में मौजा-नवादा, थाना नं०-249 के खाता सं०-13, कुल रकबा-83 डीसमील भूमि रैयती खाते की है, जो भूमि पंजी- II के पृष्ठ सं०-31/02 में बक्शी दूर्गा लाल के नाम से चल रहा था, जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अमीन से भूमि का मापी एवं सीमांकन कराया गया तत्पश्चात अंचल अमीन द्वारा स्थल मापी एवं सीमांकन कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। मापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-नवादा, थाना नं०-249 के खाता सं०-13, प्लॉट नं०-814, रकबा-73 डी० एवं प्लॉट सं०-788 रकबा-10 डी० कुल रकबा-83 डी० (तेरासी डीसमील) भूमि का स्थल जांच किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि परती है, जिसपर आवेदक द्वारा अपना दखल-कब्जा बताया गया साथ ही स्थानीय रैयती द्वारा भी आवेदक की दखल की पुष्टि की गई है एवं गवाहों का भी हस्ताक्षर एवं गणमान्य ग्रामिणों की उपस्थिति में आवेदक के वंशावली का सत्यापन किया गया। आवेदक द्वारा भी अपने दावे से संबंधित प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान की प्रति प्रस्तुत किया

गया। जिसमें दर्ज दुर्गा लाल वो गोपाल लाल पेशरान, खेमलाल वो गोकुल प्रसाद वल्द समीर लाल वो मसोमात कृषा कुमरी जैजे गणपत लाल कॉम कायस्थ साकिन-गुमों बा हिस्सा बराबर के नाम से खाता सं०-13 दर्ज है। जिसमें प्लॉट सं०-814 रकवा-73 डी० वो प्लॉट सं०-788 रकवा-10 डी० कुल सर्वे रकवा-83 डीसमील भूमि संलग्न खतियान में दर्ज है। लगान रसीद भंडार पंजी नजारत में उपलब्ध नहीं होने के कारण लगान रसीद का मिलान नहीं किया जा सका।

आवेदित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है, जिसका ऑफलाईन जमाबंदी जीर्ण-शीर्ण एवं फटा हुआ है। आवेदित भूमि का लगान रसीद वर्ष-1964-65 से 1977-78 का निर्गत है। लगान रसीद का क्रम सं०-512257, 397597, 544730, 157399, 651596, 707921 एवं 853487 है, जो संलग्न लगान रसीद के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को ऑनलाईन जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन दिया गया है।

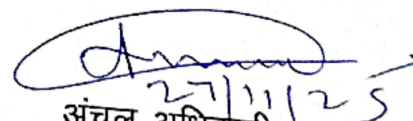
अतएव अभिलेख में संलग्न कागजतों यथा खतियान, लगान रसीद आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं०-01 दिनांक-02.01.2025, राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदन जो संलग्न है, प्रतिवेदित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा-नवादा, थाना नं०-249, खाता सं०-13, प्लॉट सं०-814 रकवा-73 डी० वो प्लॉट सं०-788 रकवा-10 डी० कुल रकवा-83 डीसमील जो रैयती भूमि है का ऑफलाईन जमाबंदी रैयत जो रसीद में अंकित है, दुर्गा लाल पिता-खेमलाल साकिन-गुमों के नाम से उक्त सभी साक्ष्य के आलोक में ऑनलाईन जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत करने हेतु आदेश पारित किया जाता है।

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख में कार्रवाई ...की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा।